

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर तारानगर व अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत कैम्प

कोर्ट बनियाला

आईदान बनाम कुशराम

किरम मुकदमा 53 नं 25 सन् 2018

R.T. Act

Case#

2018/00023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
15/18	<p>आज यह वाद राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट <u>बनियाला</u> में <u>आईदान</u> पुत्र <u>खिरवामराम</u> जाति <u>ब्राह्मण</u> निवासी <u>बनियाला</u> तहसील तारानगर ने पेश किया। अवलोकन किया गया। वाद दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>पक्षकारों ने उपस्थित होकर <u>50</u> रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर व नक्शा ट्रेस पर वाहमी राजीनामा पेश किया। राजीनामा पक्षकारों को समझाया गया। सभी पक्षों ने राजीनामा पढ व समझ कर सही होना स्वीकार किया। राजीनामा प्रमाणित कर शामिल पत्रावली किया गया। पक्षकारों की पहचान <u>श्री मोहन लाल</u> सरपंच ग्राम पंचायत <u>बनियाला</u> सदस्य लोक अदालत सलाहकार समिति <u>मोहन लाल</u> ने की। पक्षकारों का खाता विभाजन का वाद लोक अदालत बैंच <u>बनियाला</u> द्वारा स्वीकार किया जाता है। नक्शा ट्रेस में वर्णितानुसार कृषि भूमि पक्षकारों के हक हिस्सा में रहेगी। तहसीलदार तारानगर को नक्शा ट्रेस की प्रति भिजवाई जाकर राजीनामा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश जारी हो।</p> <p>पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर नम्बर से कम हो तथा तरतीब, तकमील होर दाखिल दफ्तर हो।</p>	

15/18  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चरू)